न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
मुन्तखिल प्रार्थना पत्र सं. 03/2022
सुशीला देवी v/s बिदामी देवी वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/3/22	वकुलाय ने D.J. Court की मोज को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21.4.22 को पेश हो। (श्याम)	
21.4.22	वकील प्रार्थी उप0। वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका ने अप्रार्थी सं.1 बिदामी व वकील श्री अशोक वैष्णव ने अप्रार्थी सं. 2 गुलाबी देवी की ओर से वकालतनामा पेश करने की अण्डर ले किया की। अप्रार्थी सं. 3 को Regd AD डाक से नोटिस डाक विभाग की रसीद दिनांक 12.1.22 अनुसार नियमानुसार 30 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, जो तामील पर्याप्त है। अप्रार्थी सं. 3 को नियमानुसार रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु वह स्वयं अथवा इनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 4, 5, 6 के वकील प्रार्थी शीघ्र नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.5.22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	बिदामी श्याम गुली रमेश अशोक गुलाबी अशोक
11.5.22	वकील प्रार्थी उप0। वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका ने उपस्थित होकर अप्रार्थी सं.1 बिदामी की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शा.मि. किया गया। P.O साहब आज प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 8.6.22 को पेश हो। (श्याम)	
8/6/22	वकील प्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थी श्री रमेश ढ़ाका उप0। P.O साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 30/6/22 को पेश हो। (श्याम)	
20.6.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री श्याम बारूपाल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शा0मि0 हो। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक समझाईस से लोक अ[illegible] से [illegible] समझौता कर लिया तथा अब प्रार्थीया आगे विवाद चल[illegible] नहीं चाहती है। इसलिए पत्रावली आज ही [illegible] खारिज करने का निवेदन कि[illegible] प्रार्थी के [illegible] पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। [illegible] राजीनामा हो चुका है एवं [illegible] को चलाना नहीं चाहती है एवं जरिये प्रकरण जरिये विड्रावल खारिज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये विड्रावल खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रीयुष रोमारिया) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:14:46 IST
Reason: SelfAttested

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA